भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2900

05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

धान खरीद सब्सिडी

2900. श्री एम.के. राघवन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धान खरीद (नेल्लू संभरणम) प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक केरल राज्य को बकाया के रूप में 1079.34 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि लंबित है;

(ख) यदि ऐसा है, तो वे विशिष्ट कारण, तकनीकी विसंगतियां या लेखापरीक्षा में देरी जिनके कारण लगभग एक दशक से सब्सिडी की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है; और

(ग) केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कुल दावे का वित्तीय वर्षवार विवरण, केंद्र द्वारा स्वीकृत राशि और प्रत्येक वित्तीय वर्ष (2017-18 से 2025-26 तक) के लिए शेष राशि का सटीक विवरण?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग केरल सरकार सहित उन राज्यों के व्यय की प्रतिपूर्ति करता है, जिन्होंने 'विकेंद्रीकृत खरीद' (डीसीपी) पद्धति अपनाया है। यह व्यय भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के लिए किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम राज्यों को खाद्यान्न की उन मात्रा के लिए भी निधि जारी करता है, जिन्हें राज्यों ने 'केंद्रीय पूल' के लिए एफसीआई को सौंपे हैं। 'आर्थिक लागत' और 'केंद्रीय निर्गम मूल्य' (सीआईपी)–जिस कीमत पर राज्यों को खाद्यान्न जारी किया जाता है - के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति एफसीआई और डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी के तौर पर की जाती है। साथ ही, खाद्य सब्सिडी जारी करना एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है। सब्सिडी दावों का प्रसंस्करण स्टॉक के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष, खरीद, आबंटन, खाद्यान्न वितरण, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के मिलान, उपयोगिता प्रमाणपत्रों- आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। डीसीपी राज्यों एवं एफसीआई को जारी खाद्य सब्सिडी, वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए बजटीय आबंटन के अनुसार की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य वार निधियों का-आबंटन नहीं किया जाता है।

...2/-

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा केरल सरकार को समस्त स्वीकार्य अनंतिम सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के संबंध में, राज्य को अपने स्टॉक संचलन संबंधी विवरण को संशोधित करने और स्कैन पोर्टल पर पूरक दावा प्रस्तुत करने के लिए सूचित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों पर लागू होने वाली अंतिम निपटान की एकसमान प्रक्रिया के अनुसार, राज्य संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षित खातों को अंतिम रूप देने/निपटान के समय किसी भी अतिरिक्त स्वीकार्य सब्सिडी का दावा कर सकता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत केरल सरकार को जारी की गई खाद्य सब्सिडी का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 05.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2900 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से केरल राज्य सरकार को जारी खाद्य सब्सिडी का विवरण:

वित्तीय वर्ष	**धनराशि (करोड़ रुपए में)**
2017-18	782.06
2018-19	620.23
2019-20	469.30
2020-21	1214.98
2021-22	1777.86
2022-23	1544.89
2023-24	1151.85
2024-25	1062.36
2025-26	900.51
2026-27 (दिनांक 03.08.2026 की स्थिति के अनुसार)	203.94

अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत सभी एएवाई और पीएचएच लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न अतिरिक्त रूप से निःशुल्क वितरित किया गया।
